न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/02/2022

भूपसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी टोंटपुर थाना उद्योगनगर जिला भरतपुर जरिये मुख्तारखास विकास पुत्र भजनलाल जाति जाट निवासी टोंटपुर पुलिस थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर।

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन जीप अशोक लिलेन्ड रजि0न0 आर.जे–05–जी.बी. 6695 बमुकदमे एफ.आई. आर. संख्या 07/2021 थाना सदर डीग भरतपुर अन्तर्गत धारा 5/8 राज0गो0पशु (वध प्रतिषेध और अस्थापित नियति व विनियमन)।

उपस्थित :–

1. श्री शैलेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांक 08.03.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी वाहन टैम्पू अशोका लिलैन्ड रजि0न0 आर.जे–05–जी.बी. 6695 का रजिस्टर्ड मालिक है तथा वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना डीग में खुले में खडा हुआ है जिसके खराब होने का पूर्ण अन्देशा है। प्रार्थी का उक्त कथित अपराध से कोई सबंध व सरोकार नही है तथा पुलिस ने वाहन को झूंठे प्रकरण में जब्त किया गया है। प्रार्थी अपने वाहन को सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना भली भांति करेगा तथा अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन टैम्पू अशोका लिलैन्ड रजि0न0 आर.जे–05–जी.बी. 6695 को सुपुर्दगी दिये जाने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर डीग से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर डीग जिला भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 23.02.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि जब्तशुदा टैम्पू अशोका लिलैन्ड रजि0न0 आर.जे–05–जी.बी. 6695 का स्वामी है तथा सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। प्रकरण में प्रार्थी के वाहन को झूंठे प्रकरण में जब्त किया गया है, प्रार्थी का इस अपराध से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। वाहन खुले में खडे रहने से वाहन के खराब होने की संभावना है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क किया है कि जब्त वाहन में 4 गोवंश क्रमशः 2 गाय व एक बछडा तथा एक बछिया थी। उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है। वाहन स्वामी के पास में कोई रवन्ना या परमिट नही था जिससे कि प्रार्थी यह सिद्ध कर सके कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की गौकशी में नही किया जा रहा हो। वाहन मालिक द्वारा मौके पर उपस्थित वाहन चालक के नाम ही पॉवर ऑफ अटौर्नी की हुई है जो कि 01.10.2021 की है तथा घटना दिनांक 19.10.2021 की है जो कि जांच का विषय है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर डीग की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर डीग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि जब्तशुदा टैम्पू अशोका लिलैन्ड रजि0न0 आर.जे–05–जी.बी. 6695 में दो गाय व एक बछडा तथा एक बछिया को गौकशी के लिए परिवहन किया जाया जा रहा था। जिसके पास गोवंश को परिवहन करने का कोई परमिट या रवन्ना नही था। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है जिससे उसके तथ्य प्रमाणित हो सके साथ ही प्रार्थी द्वारा कोई शपथ आदि पेश नही किया है जिसमें इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृति न होने का उल्लेख किया हो। प्रार्थी द्वारा मुख्त्यारनामा वाहन चालक के पक्ष में किया हुआ है जो कि घटना के करीब का है जो कि जांच का विषय है। इस प्रकार प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त जब्तशुदा वाहन टैम्पू अशोका लिलैन्ड रजि0न0 आर.जे–05–जी.बी. 6695 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन टैम्पू अशोका लिलैन्ड रजि0न0 आर.जे–05–जी.बी. 6695 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी थाना सदर डीग (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर